न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

ईश्वर सिंह बनाम गोपाल सिंह

किस्म मुकदमा 2.25 RTA मु. नं० 47 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
2-7-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 47/2017 बउनवानी ईश्वर सिंह बनाम गोपाल सिंह में दिनांक 16.08.2017 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 525,526,527,643,649 वाके ग्राम बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर में प्रार्थी अपीलांट के सम्भावित हिस्से तक बेचान नही करने का स्थगन जारी किया है। विचारण न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र अभी तक लम्बित चल रहा है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को वाद बाहुल्यता नही होने एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सम्पूर्ण भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट के हिस्से तक बेचान पर स्थगन दिया गया है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना भी सुनिश्चित नही की गई है। यद्यपि अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है तथापि मूल प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में आज दिनांक तक लम्बित होने के कारण धारा 5 पर पृथक से विवेचन करने की आवश्यकता नही है। अपीलांट की बहस एवं प्रकरण के तथ्यों से संतुष्ट होने के उपरान्त अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र संख्या 47/2017 बउनवानी ईश्वर सिंह बनाम गोपाल सिंह में विवादित भूमि खसरा नम्बर 525,526,527,643,649 वाके ग्राम बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में दो माह में निस्तारण के निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर